अति–आवश्यक

80 3908
5/6/15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः– एफ 27(43)/ग्रावि/समीक्षा/बैठक/2015–16 जयपुर, 02 जून, 2015

बैठक – आदेश

दिनांक 21.05.2015 को प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा विडियों कोन्फ्रसिंग में ग्रामीण आवासीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई । आवास योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि राज्य में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2013–14 के स्वीकृत आवास निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी अधूरे है, एवं वर्ष 2015–16 के लाभार्थियों के पंजीयन की प्रगति भी धीमी है। इस कम में शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश भी प्रदान किये गये है।

राज्य में वर्ष 2011–12 के स्वीकृत आवासों में अधिकतम अपूर्ण आवासों व वर्ष 2015–16 के अधिकतम बकाया पंजीयन वाले निम्न जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं जिला आवास प्रभारियों की बैठक दिनांक 17.6.2015 प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरा की अध्यक्षता में जिला परिषद् उदयपुर के सभागार में प्रातः 10.30 बजे से आयोजित की जावेगी।

इन जिलों के बकाया लक्ष्य जो निम्नानुसार है :–

क.सं.	जिला	वर्ष 2011–12 के अपूर्ण आवास	वर्ष 2015–16 के बकाया पंजीयन
1.	उदयपुर	14343	17466
2.	डूगरपुर	6677	18040
3.	बांसवाडा	5782	14477
4.	करौली	4670	–
5.	बून्दी	3232	257
6.	अलवर	2892	–
7.	झालावाड	2566	–
8.	भीलवाडा	2531	1167

बैठक में उपरोक्त के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जावेगीः–

1. वर्ष 2011–12 के अपूर्ण रहे आवासों को 30 जून, 2015 तक पूर्ण कराने की कार्य योजना।
2. वर्ष 2011–12 के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव।
3. वर्ष 2015–16 के बकाया पंजीयनों के संबंध में यदि कोई कारण हो तो उनके संबंध में चर्चा।
4. मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना फेज–प्रथम वर्ष 2011–12 के हडको से शेष ऋण अवमुक्ति की राशि, कटौती/ मांग के संबंध में चर्चा।
5. अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना की चर्चा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर बैठक की बिन्दुवार, पंचायत समितिवार सूचना दिनांक 11.06.2015 तक अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.) को मेल करें।

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा.वि.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान ।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्राविवि ।
5. अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण विकास, ग्राविवि ।
6. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर। website
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र) उदयपुर को अन्य जिलों से आने वाले अधिकारियों हेतु सर्किट हाऊस/डाक बंगला में कमरे आरक्षित करवाने एवं बैठक दिनांक 17.06.2015 की व्यवस्था हेतु ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, करौली, बून्दी, अलवर, झालावाड एवं भीलवाडा जिलों को अपने जिले के सभी विकास अधिकारियों के साथ उपस्थित होने बाबत्।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त जिला परिषद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, करौली, बून्दी, अलवर, झालावाड एवं भीलवाडा जिलों को पालनार्थ।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\Deepmala\Letter.docx